भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1599
जिसका उत्तर बुधवार, 27 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मामलों हेतु अधिकरण

+1599. श्री छतर सिंह दरबार :

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मामलों के निपटान के लिए गठित कतिपय अधिकरण लंबित मामलों के निपटान में काफी ज्यादा समय ले रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार उक्त प्रत्येक अधिकरण के सामने लंबित मामलों की संख्या कितनी है ; और

(ग) लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : जी, नहीं । प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के मामलों के निपटान के लिए गठित किए गए अधिकरण अर्थात् आय-कर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) और सीमा-शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सीईएसटीएटी), अपने-अपने लंबित मामलों का विवादों की प्रकृति पर निर्भर करते हुए समय-सीमा में निपटान करते हैं।

(ख) : आईटीएटी और सीईएसटीएटी के समक्ष नवंबर, 2019 तक लंबित मामलों की संख्या क्रमश: 90082 और 77635 है।

(ग) : लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सम्मिलित है :-

(i) पुरानी अपीलों के त्वरित निपटान की सतत् मानीटरी करना;

(ii) न्यायपीठों, रजिस्ट्री में और अन्य सहबद्ध पदधारियों की रिक्तियों को भरना;

(iii) लंबित मामलों के समापन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी औजारों का उपयोग करना जैसे कि कंप्यूटरीकरण और ई-न्यायालय आदि;

(iv) विभाग द्वारा दाखिल की गई बीस लाख तक का राजस्व पण अंतर्वलित करने वाली सभी अपीलों को वापिस लेने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा तारीख 04.04.2018 को अनुदेशों का जारी करना।

****